छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क0–2206/2017

आरक्षित दिनांक–14.02.2024

वितरित दिनांक–01.05.2024

सुश्री – आकांक्षा भारद्वाज, आयु लगभग 26 वर्ष
पुत्री – श्री अशोक कुमार भारद्वाज, निवासी–राजकिशोर
नगर, बिलासपुर (छ.ग.) ————————याचिकाकर्ता

//बनाम//

1. छ0ग0 राज्य द्वारा–प्रमुख सचिव विधि
   एवं विधायी कार्य, महानदी भवन मंत्रालय
   नया रायपुर (छ.ग.)
2. छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा–महापंजीयक
   उच्च न्यायालय भवन, बोदरी बिलासपुर (छ.ग.)
3. रजिस्ट्रार (सतर्कता) छ0ग0 उच्च न्यायालय और
   अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत समिति (छ.ग.) उच्च
   न्यायालय, उच्च न्यायालय भवन, बोदरी, बिलासपुर
   (छ.ग.) ————————प्रतिवादी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से – सुश्री आकांक्षा भारद्वाज, व्यक्तिगत रूप से ।

राज्य की ओर से – श्री प्रफुल्ल एन0 भारत0 वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री गैरीमुखोपाध्याय, सरकारी अधिवक्ता के साथ ।

प्रतिवादी संख्या 02 और 03 के लिये – श्री देवेन्द्र पटेल अधिवक्ता, श्री हर्षवर्धन अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित हुए ।

माननीय श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, जे0

जे.सी.ए.वी.आदेश

01. याचिकाकर्ता ने छ0ग0 सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की है जिसमें छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा स्वीकार की गयी है, जो कि निचली न्यायिक सेवा का सदस्य है तथा प्रासंगिक समय में सिविल न्यायाधीश वर्ग–02, कांकेर के पद पर पदस्थ है । याचिकाकर्ता ने आंतरिक शिकायत समिति

(संक्षेप में आई.सी.सी.) की दिनांक 06.04.2016 की रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/2) की अनुशंसा को भी चुनौती दी है । (जिसे याचिकाकर्ता ने ज्ञापन दिनांक–26.10.2016 के माध्यम से प्राप्त किया है) जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा की गयी शिकायत को खारिज कर दिया गया है ।

02. अभिलेखों से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता का चयन वर्ष 2012–13 में आयोजित परीक्षा में सिविल जज (प्रवेश स्तर) के पद पर हुआ था । उसे दिनांक–12.12.2013 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) के तहत दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था । जिस दिन से याचिकाकर्ता ने कार्यभार संभाला था तद्नुसार, उसने दिनांक 12.07.2013 को अपना कार्यभार ग्रहण किया । यह भी तर्क दिया गया है कि जब याचिकाकर्ता अंबिकापुर में सिविल जज वर्ग–01 के साथ प्रशिक्षण ले रही थी, तो उसे उक्त अधिकारी से कई बार अवांछित मौखिक संकेत और यौन प्रकृति के आचरण का सामना करना पडा । यह भी आरोप लगाया गया है कि वह काफी समय तक जारी रहा, लेकिन उसने वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत नहीं की क्योंकि वह नव–नियुक्त न्यायिक अधिकारी है । प्रशिक्षण पूरा होने के बाद याचिकाकर्ता को अगस्त 2014 में अंबिकापुर में प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–02 के पद का स्वतंत्र प्रभार दिया गया । यह भी तर्क दिया गया है कि अधिकांश वरिष्ठ मजिस्ट्रेटों का तबादला हो चुका है और अंबिकापुर में एकमात्र वरिष्ठ मजिस्ट्रेट श्री गव्र थे, जिनके अधीन चार प्रशिक्षु अधिकारी (दो पुरूष और दो महिला) पदस्थ थे । आमतौर पर जब याचिकाकर्ता न्यायिक मामलों में मार्गदर्शन के लिये श्री गव्र से उनके कक्ष में मिलने जाती थी तो उनका व्यवहार शर्मनाक होता था क्योंकि उसने यौन प्रकृति के अवांछित शर्मनाक मौखिक अर्थ निहित होते थे, जो धीरे–धीरे अधिक लगातार और तीव्र होते गये । प्रारंभ में याचिकाकर्ता को श्री गव्र के आचरण के बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को मौखिक रूप से और उसके बाद लिखित रूप से रिपोर्ट करनी पडी । याचिकाकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर उच्च न्यायालय ने आई.सी.सी. का गठन किया, जिसने दिनांक 06.04.2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह माना गया कि शिकायतकर्ता द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । हांलाकि, आई.सी.सी. की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गयी, जो कि निदंनीय है । यह भी तर्क दिया गया है कि आई.सी.सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.11.2016 को एक समीक्षा आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतियों पर विचार किये बिना दिनांक 05.01.2017 की रिपोर्ट के माध्यम से खारिज कर दिया गया ।

03. यह भी तर्क दिया गया है कि छ0ग0 न्यायिक सेवा अधिकारी (गोपनीय रोल) विनियम, 2015 (संक्षेप में ''विनियम, 2015'') के विनियम 7 के ''नोट'' के अनुसार, वर्ष 2015–16 के लिये याचिकाकर्ता के ए.सी.आर. दिनांक 01.08.2016 को या उससे पहले याचिकाकर्ता को बतायी जानी चाहिए थी, लेकिन उसे दिनांक–10.04.2017 के पत्र द्वारा सूचित किया गया, अर्थात् दिनांक–09.02.2017 को सेवा से समाप्ति के दो महीने बाद और विनियम, 2015 के नियम 09 में प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिनिधित्व से संबंधित है । इस प्रकार, प्रतिकूल ए.सी.आर. के विलंब से संचार द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व करने का अवसर का उल्लंघन किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार के परिपत्र/निर्देश के बावजूद ए.सी.आर. लिखी गयी है, इसलिये प्रतिकूल ए.सी.आर. पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी । यह भी तर्क दिया गया है कि वर्ष 2015–16 के ए.सी.आर. में उल्लेख किया गया है कि वह कोई अन्य नौकरी नहीं कर पायेगी । यह टिप्पणी याचिकाकर्ता के भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार को छीन लेती है । यह भी तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय नियम, 2007 के नियम 4 (सी) के अनुसार स्थायी समिति को छ.ग. अवर न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को बर्खास्त/हटाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसकी अनुंशसा केवल पूर्ण न्यायालय के द्वारा की जानी है और यहां तक की उच्च न्यायालय नियम, 2007 (संक्षेप में, ''नियम, 2007'') के तहत प्रदान की गयी प्रकिया का भी पालन नहीं किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. उन्होंने आगे कहा कि स्थायी समिति ने दिनांक 24.01.2017 को आयोजित अपनी बैठक में रजिस्ट्रार जनरल को याचिकाकर्ता के संपूर्ण सेवा अभिलेख को उसके बैच के नौ अन्य सदस्यों के साथ तैयार रखने का निर्देश दिया था, विशेष रूप से जब सेवा विस्तार दिया गया था, लेकिन स्थायी समिति ने दिनांक –31.01.2017 को अपनी बैठक में याचिकाकर्ता द्वारा तत्कालीन जिला न्यायाधीश अंबिकापुर के विरूद्ध दिनांक–25.04.2016 को दायर की गयी शिकायत को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने योग्य नहीं पाया । इस मामले को छोडकर अन्य सभी मामलों को स्थगित रखा गया, इस प्रकार उन्होंने कहा कि दिनांक–30.12.2015 को ए.डी.पी.ओ. अंजू गुप्ता द्वारा की गयी शिकायत पर जिला न्यायाधीश अंबिकापुर द्वारा दिनांक 30.01.2016 को टिप्पणियां मांगी गयी थी लेकिन दिनांक–31.01.2017 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट है कि स्थायी समिति पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर रही है । यह भी तर्क दिया गया है कि जिला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के पूर्व अवकाश आवेदन को दिनांक–12.04.2016 को खारिज कर दिया था तथा उसके बाद दिनांक–13.04.2016 को रिपोर्ट भेजी थी, जिससे पता चलता है कि जिला न्यायाधीश याचिकाकर्ता के प्रति द्वेष रखते है । जहां तक आर.एस. शुक्ला द्वारा दिनांक–10.05.2016 को की गयी शिकायत का सवाल है, उनके द्वारा तर्क दिया गया है कि यह शिकायत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक–25.04.2026 को तत्कालीन जिला न्यायाधीश एवं सी.जे.एम. अंबिकापुर के विरूद्ध की गयी शिकायत के बाद की गयी है, जो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के प्रति वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है । यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने रिटर्न में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध पांच शिकायतें दर्ज की गयी थी, लेकिन उसे उनके जवाब के साथ संलग्न नहीं किया गया है । वह प्रस्तुत करेंगी कि स्थायी समिति द्वारा परिवीक्षा अवधि न बढाने की सिफारिश सेवा से समाप्ति के सामान है और उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को की गयी सिफारिश पर, दिनांक 09.02.2017 का आरोपित समाप्ति आदेश (अनुलग्नक पी/1) पारित किया गया है, जो अवैध है और दिनांक 09.02.2017 के आरोपित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश को रद्द करने और सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली के लिये प्रार्थना करेंगी ।

05. अपनी दलील को पुष्ट करने के लिये, वह रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय गुजरात एवं अन्य बनाम जयश्री चमन लाल बुद्धभट्ठी, (2013) 16 एस.सी.सी. 59, ईश्वरचन्द्र जैन बनाम उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा और अन्य (1988) 3 एस.सी.सी. 370, छ0ग0 उच्च न्यायालय बनाम गणेश राम वर्मन एवं अन्य (रिट अपील संख्या–281/2022), देवदत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2008) 08 एस.सी.सी. 725, सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2013) 09 एस.सी.सी. 566, अभय जैन बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य (2022) ए.आई.आर. ऑनलाईन एस.सी. 359 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का हवाला देंगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06. दूसरी ओर से, उच्च न्यायालय/प्रतिवादी क0–02 एवं 03 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क का विरोध करते हुए कहा कि दिनांक 18.03.2016 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि को छ0ग0 अवर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम 2006, (संक्षेप में नियम, 2006) के नियम 11 में निहित प्रावधानों के अनुसार आगे बढाया गया था । नियम, 2006 के नियम 11 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय परिवीक्षा अवधि बढा सकता है, लेकिन परिवीक्षा की कुल अवधि 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी । यह नियम आगे यह भी प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय किसी भी समय, परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पहले, नियम 2006 के नियम 03 के उप–नियम (1) की श्रेणी (ए) में नियुक्त सिविल न्यायाधीश के सेवा को समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है । इस प्रकार, नियम 2006 के नियम 11 के उप–नियम (4) में उल्लेखित भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है । उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता सेवा में स्थायीकरण के लिये उपर्युक्त नहीं पाया गया, इसलिये छ.ग. उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.02.2017 को राज्य सरकार को नियम 11, 2006 के उप–नियम (4) के अनुसार याचिकाकर्ता की

सेवाएं समाप्त करने की अनुंशसा की है, जिसके आधार पर छ.ग. सरकार ने याचिकाकर्ता की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है, इसलिये याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने के लिये प्रतिवादी द्वारा अपनायी गयी प्रकिया न्यायसंगत, उचित और कानूनी है और नियम 11, 2006 के उप–नियम (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार है । उन्होंने आगे कहा कि आई. सी.सी. द्वारा की गयी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि 2013 के अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता है और शिकायत, याचिकाकर्ता की बाद में लिखी गयी कहानी पायी गयी । यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिये सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था और साक्ष्य, अभिलेख पर सामग्री की सराहना करने के बाद समिति ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया है, जिसे दोषपूर्ण या विकृत या अवैध नहीं कहा जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता परिवीक्षाधीन था और उसकी परिवीक्षा अवधि नहीं बढायी गयी है और यहां तक कि उसकी सेवाओं को भी कलंकित आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया गया है, इसलिये उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है । इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क की भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 311 का उल्लंघन हुआ है, विचार करने योग्य नहीं है । उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता परिवीक्षा पर थी और उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान छ.ग. उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने राज्य सरकार को यह सिफारिश करने का संकल्प लिया था कि याचिकाकर्ता सेवा में स्थायीकरण के लिये उपर्युक्त नहीं है और आवश्यक आदेश जारी करने के लिये आगे सिफारिश्त की । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि स्थायी समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है या नियम 2007 के नियम 4 (सी) का उल्लंघन किया है । उन्होंने आगे कहा कि स्थायी समिति ने दिनांक 06.05.2016 को उचित विचार–विमर्श के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर से शील–बंद लिफाफे में रिपोर्ट मंगाने का संकल्प लिया । शीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसे स्थायी समिति के समक्ष रखा गया, जिसने दिनांक 26.07.2016 के

संकल्प के तहत मामले को उच्च न्यायालय की आंतरिक शिकायत समिति को भेज दिया । यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिये उच्च न्यायालय की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था । वर्तमान मामले में, दिनांक 26.07.2016 को संकल्प प्राप्त होने के बाद आंतरिक शिकायत समिति ने दिनांक 30.07.2016 को बैठक बुलायी । आई.सी.सी. ने दिनांक 30.07.2016 से दिनांक 22.09.2016 तक अपनी बैठक की 12 सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता/शिकायकर्ता के साथ –साथ प्रतिवादी को हरसंभव अवसर देने के बाद जांच कार्यवाही पूरी कर ली है । रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सामग्रियों पर उचित विचार करने के बाद दिनांक 22.09.2016 को एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि समिति को, प्रतिवादी के खिलाफ यौन–उत्पीडन की शिकायत के आरोप साबित नहीं हुए है । उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आई.सी.सी. ने अपनी रिपोर्ट में किसी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कोई सिफारिश नहीं की है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की आई.सी.सी. द्वारा विधिवत् जांच की गयी थी, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी दिया गया था, बयान दर्ज किये गये थे और याचिकाकर्ता को जिरह करने की अनुमति दी गयी थी । रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्षियों से निपटने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादी के खिलाफ यौन उत्पीडन की शिकायत नहीं मिली । उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद स्वीकार किया है कि जवाब मिलने के बाद आई.सी.सी. ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किये और उन्हें गवाहों से जिरह करने की भी अनुमति दी गयी, जिसका अर्थ है कि आई.सी.सी. ने प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करते हुए शिकायत का फैसला किया और अपनी रिपोर्ट पेश की । उन्होंने आगे कहा कि आंतरिक समिति के सभी सदस्यों ने मूल जांच रिपोर्ट पर दिनांक 22.09.2016 की तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर किये है । उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क की आई.सी.सी. शिकायत की प्रकृति और प्रभाव तथा उसके पीछे के वास्तविक तथ्यों और

कारणों को समझने में विफल रही तथा बचाव पक्ष के वकील के रूप में मामले को नहीं देखा, स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है । याचिकाकर्ता बार–बार बिना किसी ठोस सबूत के बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत में है । यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं रिट याचिका में निम्नलिखित कथन किया है:–

श्री गव्र के उत्तर/प्रत्युत्तर प्राप्त होने के पश्चात् आई.सी.सी. ने याचिकाकर्ता, उसके पिता तथा श्री गव्र के बयान दर्ज किये तथा दोनों पक्षों को एक–दूसरे के गवाहो से जिरह करने की अनुमति दी गयी । जांच के पश्चात् आई.सी.सी. द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी दी गयी ।

09. उन्होनें आगे कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह परिवीक्षाधीन नहीं थी और स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर चुकी थी, भी विचारणीय नहीं है । यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि छ0ग0 अवर न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम 2006 के नियम 11 के उपनियम (6) जिसे आगे ''नियम 2006'' के रूप में संदर्भित किया जाता है, में प्रावधान है कि ''नियम 2006'' के नियम 11 के उपनियम (4) या उपनियम (5) के तहत समाप्त या पुष्टि होने तक परिवीक्षा जारी रहेगी । उन्होंने आगे कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर की याचिकाकर्ता की पुष्टि के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, इसलिये याचिकाकर्ता को नियम 2006 के तहत पुष्टि नहीं की गयी थी । जहां तक ए.सी.आर. को चुनौती देने का सवाल है, याचिकाकर्ता ने कोई विशेष आधार नहीं उठाया है, सिवाय इसके कि इससे याचिकाकर्ता की आजीविका और बाजार में उसकी बिक्री साधन छिन जायेगा और यह कदाचार के अनुपात से अधिक अतिरिक्त सजा होगी । उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा ''नियम 2006'' के नियम 11 की व्याख्या पूरी तरह गलत है । याचिकाकर्ता ''नियम 2006'' के नियम 11 के उपनियम (3) पर भरोसा कर रहा है, याचिकाकर्ता ने जान–बूझकर नियम 11 के उपनियम (6) को छोड दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है । उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता की विस्तारित परिवीक्षा अवधि दिनांक 27.12.2016 तक समाप्त हो जानी चाहिए थी , पूरी तरह गलत है । उन्होंने आगे कहा कि उपनियम (6) में यह प्रावधान है कि परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति उपनियम (4) या उपनियम (5) के तहत सेवा समाप्ति की जानी है और याचिकाकर्ता द्वारा बताये अनुसार कोई स्वचालित पुष्टि नहीं है । नियम 11, 2006 का उपनियम (5) यह प्रावधान करता है कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में पुष्टि की जायेगी और इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा । उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियम 11, 2006 के उपनियम (5) के अनुसार पुष्ट नहीं किया गया था । उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि नियमित कर्मचारी जिसने परिवीक्षा अवधि बिना किसी दोष पूरी कर ली थी, की सेवा समाप्त करने के निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं था, पूरी तरह से गलत है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 23.12.2016 के आदेश के तहत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के साथ–साथ नौ अन्य अधिकारियों, जिनकी परिवीक्षा अवधि बढायी गयी थी, की पुष्टि के मामले को विचार और आदेश के लिये स्थायी समिति के समक्ष रखने का निर्देश दिया । यह मामला दिनांक 24.01.2017 को स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था, जहां स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था जो इस प्रकार है:–

''अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया । रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया जाता है कि वे इन अधिकारियों के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड तैयार रखें । खासकर विस्तार दिये जाने के बाद ।''

11. तद्नुसार, मामला दिनांक 31.01.2017 को स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था, जहां नौ अधिकारियों को स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का संकल्प लिया गया था और याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की गयी थी । उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी

शिकायतों का उल्लेख करते हुए माननीय पोर्टफोलियों न्यायाधीश, अंबिकापुर को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की । मामले को विचार के लिये स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था । दिनांक 26.07.2016 को स्थायी समिति ने संकल्प लिया कि रजिस्ट्रार (सतर्कता) एक प्रारंभिक जांच करेंगे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । रजिस्ट्रार (सतर्कता) ने प्रारंभिक जांच की, जिसे स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । दिनांक 31.01.2017 की बैठक में रजिस्ट्रार (सतर्कता) द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26.09.2016 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार किया गया तथा रजिस्ट्रार (सतर्कता) की रिपोर्ट को स्वीकार करने तथा मामले को समाप्त करने का संकल्प लिया गया । उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने श्री गव्र के विरूद्ध निराधार आरोप लगाये हैं जो इस रिट याचिका में पक्षकार भी नहीं है तथा यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध लगाये आरोपों की जांच उसे पक्षकार बनाये बिना नहीं की जा सकती । उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के सभी प्रकार के निराधार आरोप लगाये गये हैं । आंतरिक शिकायत समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में पहले ही जांच कर ली है तथा उन्हें आसक्त पाया है, इसलिये आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2014–15 और वर्ष 2016–17 के लिये ग्रेड–डी अर्थात् औसत प्रदान किया गया था और ए.सी.आर. में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की गयी थी । सुश्री अंजू गुप्ता ए.डी.पी.ओं., श्री आर.एस. शुक्ला, ए.एस.आई. महिला थाना अंबिकापुर और एक सूरजमती द्वारा अवज्ञा, अनुशासनहीनता, न्यायिक कार्य में अनियमितता, दुर्व्यवहार और पद और शक्ति के दुरूपयोग के संबंध में पांच शिकायतें याचिकाकर्ता की पुष्टि के समय जिला न्यायाधीश अंबिकापुर के समक्ष लंबित थी । जब याचिकाकर्ता की पुष्टि का मामला स्थायी समिति द्वारा लिया गया तो याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन शिकायतें भी दिनांक 31.01.2017 को समिति के समक्ष रखी गयी । दिनांक 31.

01.2017 के संकल्प द्वारा स्थायी समिति ने संकल्प लिया कि इस तथ्य के मद्देनजर की याचिकाकर्ता को सेवाओं में जारी रखने के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया था । इन मामलों को स्थगित रखा जाये । उन्होंने आगे कहा कि यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी पुष्टि के समय लंबित दो अन्य शिकायतों को स्थायी समिति द्वारा पारित दिनांक 31.01.2017 के संकल्प के मद्देनजर माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा दिनांक 21.02.2017 के आदेश द्वारा स्थगित रखा गया था ।

13. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16, और 21 के उल्लंघन के संबंध में कोई ठोस दलील नहीं दी है और रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं । अपने तर्क को पुष्ट करने के लिये, उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम वेदप्रिया एवं अन्य (2021) 13 एस.सी.सी. 151 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर भरोसा किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विद्वान् राज्य वकील प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने छ0ग0 के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गयी सिफारिश पर कार्यवाही की है, प्रतिवादी संख्या दो और तीन द्वारा लिये गये रूख का समर्थन करेंगे और रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करेंगे ।

15. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर रखे गये दस्तावेंजों को अत्यंत संतुष्टि के साथ पढा है ।

16. इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट से संबंधित अभिलेख भी मंगाये है, जिसमें निम्नांकित उल्लेख है:–

''.....<u>संलग्न दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि कु. भारद्वाज के विरूद्ध उनके कार्य एवं आचरण के संबंध में अनेक शिकायतें थी तथा जिला न्यायाधीश होने के नाते गगगगगग को उनके अवकाश आवेदन को अस्वीकार करने तथा</u>

उन्हें सुधार हेतु सलाह देने का अधिकार था, लेकिन कु. भारद्वाज ने इसे अन्यथा लिया तथा सुधार दर्शाने के बजाय उन्होंने जिला न्यायाधीश अंबिकापुर के विरूद्ध शिकायत की है जो अवज्ञा का कृत्य है ।

17. आई.सी.सी. द्वारा श्री गत्र तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्नांकित उल्लेख हैः–

'' 28 संपूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अवलोकन एवं उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्टतः सामने आयी है कि शिकायतकर्ता को जो अच्छा नहीं लगता था या जो उनके अनुरूप नहीं होता था, उसका वे बकायदा प्रतिरोध करती थी । चूंकि उनके साथ शिकायत में उल्लेखित कोई बात हुई ही नहीं थी, इसलिये ही उन्होंने ना तो किसी से चर्चा की और ना ही दिनांक 05.04.2016 तक कोई शिकायत की । जब प्रदर्श सी 16 के माध्यम से शिकायतकर्ता के न्यायालय की डाक बुक प्रत्यार्थी के द्वारा मांगी गयी, तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके पूर्व के आचरण के कारण उनके विरूद्ध कुछ कार्यवाही संभावित है तब उन्होंने बाद विचार (जिमत जीवनहीज) लैगिंग उत्पीडन (मगनंस ींतेंउमदज) के तथ्यों को समाविष्ट करते हुए प्रत्यार्थी के विरूद्ध यह शिकायत की कि जिसकी जांच में समिति ने इसे प्रमाणित नहीं पाया ''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस न्यायालय ने दिनांक 06.12.2023 को मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिये गये बिन्दुओं पर विचार किया, जो इस प्रकार हैः–

(प) उच्च न्यायालय नियम, 2007 के नियम 4–सी के मद्देनजर स्थायी समिति को सेवा समाप्ति की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है ।

(पप) संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया गया है, इसलिये यह निष्कर्ष दर्ज किये बिना की प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, रिकॉर्ड के विपरीत है ।

(पपप) चूंकि उन्होंने उसके खिलाफ लगाये गये कुछ आरोपों पर विचार किया है इसलिये उसे अपना मामला बचाने के लिये सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए ।''

19. याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेगी कि उच्च न्यायालय नियम, 2007 के नियम 4 (सी) के अनुसार , स्थायी समिति को गणेशराम वर्मन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर निचली न्यायिक सेवा के सदस्य की समाप्ति या बर्खास्तगी की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है । वह आगे प्रस्तुत करेगी कि विद्वान् जिला न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी को उसके खिलाफ लगाये गये अनुचित आरोपों से बचाने में विफल रहे है और प्रार्थना करेंगे कि यह माना जाये कि याचिकाकर्ता ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है । उसने ईश्वरचंद्र (सुप्रा) के फैसलें पर भी भरोसा किया है कि अगर बेईमान वादी द्वारा गलत तरीकें से या प्रेरित शिकायत की जाती है तो न्यायिक अधिकारी को संरक्षित किया जाना चाहिए और पैराग्राफ–14 के संदर्भ में दिया जायेगा जो इस प्रकार हैः–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''14. संविधान के तहत उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण है । उस नियंत्रण का प्रयोग करते समय न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन और संरक्षण करना संवैधानिक दायित्व है । एक ईमानदार सख्त न्यायिक अधिकारी के पास मुफस्सिल न्यायालयों में विरोधी होने की संभावना होती है । यदि न्यायिक आदेशों से संबंधित तुच्छ मामलों पर शिकायतें की जाती है, जिन्हें न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जा सकता है, तो कोई भी न्यायिक अधिकारी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और उसके लिये अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी और स्वतंत्र तरीके से निर्वहन करना मुश्किल होगा । एक स्वतंत्र और ईमानदार न्यायपालिका कानून के शासन के लिये अनिवार्य है । यदि न्यायिक अधिकारियों को तुच्छ मामलों पर शिकायत और

जांच का लगातार खतरा रहता है और यदि उच्च न्यायालय गुमनाम शिकायतों को बढावा देता है तो अधीनस्थ न्यायपालिका स्वतंत्र और ईमानदार तरीके से न्याय नहीं कर पायेगी । इसलिये यह जरूरी है कि उच्च न्यायालय भी बेईमान वकीलों और वादियों द्वारा की गयी गलत या प्रेरित शिकायतों को नजरअंदाज करके अपने ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिये कदम उठाये । इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव पूरी तरह से अनुचित था और श्री महलावत और अन्य द्वारा की गयी शिकायतें प्रेरित थी, जो किसी भी तरह से उचित नहीं थी । यहां तक की सतर्कता न्यायाधीश ने भी जांच करने के बाद यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि अपीलकर्ता किसी भ्रष्ट ईरादें से दोषी था या उसने न्यायिक रूप से काम नहीं किया था । उसके खिलाफ केवल इतना कहा गया कि उसने स्थगन देने में अनुचित तरीकें से काम किया था । ''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उन्होंने जयश्री चमनलाल बुद्धभट्टी (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें पैराग्राफ 38 में निम्नलिखित कहा गया हैः–

''38. निष्कर्ष निकालने से पहले हमें एक बार फिर से वर्तमान मामले में सामने आये तथ्यों पर विचार करना चाहिए । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है । प्रतिवादी–01 उम्मीदवार थी, जिसने न्यायिक सेवा के लिये चयन में उच्च रैंक प्राप्त की थी और उसे एक ग्रामीण क्षेत्र में एक स्वतंत्र पोस्टिंग दी गयी थी, जहां वह अकेली रह रही थी, कम–से–कम कहने के लिये उसके मामलों का निपटान बहुत अच्छा था । कर्मचारियों के व्यवहार और बार के एक वर्ग द्वारा उसके साथ किये गये उत्पीडन के बारे में उसके द्वारा कि गयी शिकायतों पर तत्कालीन जिला न्यायाधीश ने ध्यान नहीं दिया । उसके सामने आने वाली कठिनाईयों को समझने का प्रयास करना तो दूर की बात है , इसके

बजाय उसके खिलाफ कुछ अनुचित प्रतिकूल टिप्पणियां की गयी । इसके बाद तत्कालीन जिला न्यायाधीश ने सतर्कता अधिकारी के रूप में उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच की जिसमें बिना किसी औचित्य के उन्होंने, उन्हें दूसरे न्यायिक अधिकारी कि पत्नी की मौत से जोडने की कोशिश की, न्यायिक अधिकारियों को अनुचित आरोपों से बचाना जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य है । हालांकि वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि ऐसा करने के बजाय प्रतिवादी के खिलाफ उसे कोई अवसर दिये बिना जांच की गयी, जबकि इसमें उसके चरित्र के खिलाफ आरोप शामिल थे और जांच को उसके पद के लिये उसकी उपयुक्तता के निर्धारण के रूप में उचित ठहराया गया था । हम इस अवसर पर इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों, विशेष रूप से महिला अधिकारियों के लिये शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण समाप्त हो । युवा अधिकारियों को बिना किसी डर या पक्षपात के अच्छा न्यायिक कार्य करने के लिये, प्रोत्साहित करने के लिये यह आवश्यक है हम यह कहने के लिये बाध्य है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय प्रशासन इस मामले में स्पष्ट रूप से विफल रहा है । इन परिस्थितियों में हमारे पास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और हम इसकी पुष्टि करते हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2015–16 के लिये प्रतिकूल ए.सी.आर. को छ0ग0 न्यायिक अधिकारी (गोपनीय) नियम 2015 के नियम 7, 8 और 9 के उल्लंघन के मद्देनजर रद्द किया जाना चाहिए, जो ए.सी.आर. लिखने से संबंधित है क्योंकि याचिकाकर्ता कि वर्ष 2015–16 की ए.सी.आर. दिनांक 01.08.2016 को या उससे पहले बतायी जानी चाहिए थी , लेकिन दिनांक 09.02.2017 को उनकी सेवा समाप्त होने के बाद दिनांक 10.04.2017 को बतायी गयी है । इस प्रकार यह देवदत्त (सुप्रा) और सुखदेव सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय कानून के खिलाफ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुखदेव सिंह (सुप्रा) के मामले में माना है कि ए.सी.आर. में

प्रविष्टी को उचित अवधि के भीतर बताया जाना चाहिए क्योंकि यह विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा–8 में इस प्रकार माना है:–

"8. हमारी राय में देवदत्त मामले में लिया गया यह दृष्टिकोण कि लोकसेवा की ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टी उसे उचित अवधि के भीतर बतायी जानी चाहिए, कानूनी रूप से सही है और तीन गुना उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है । पहला, ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टी को लोकसेवक को बताने से उसे कडी मेहनत करने और अधिक हासिल करने में मदद मिलती है, जिससे उसे अपने काम को बेहतर बनाने और बेहतर परिणाम देने में मदद मिलती है । दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण, ए.सी.आर. में प्रविष्टी के बारे में पता चलने पर लोकसेवक उससे असंतुष्ट महसूस कर सकता है । प्रविष्टी के बारे में बताने से उसे ए.सी.आर. में दर्ज टिप्पणियों के उन्नयन के लिये प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाता है । तीसरा, ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टी के बारे में बताने से लोकसेवक से संबंधित टिप्पणियों को दर्ज करने में पारदर्शिता आती है और प्रणाली प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधिक अनुरूप हो जाती है । तद्नुसार, हम मानते है कि ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टी–खराब, ठीक, औसत, अच्छा या बहुत अच्छा–उसे उचित अवधि के भीतर सूचित किया जाना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वह आगे यह भी कहना चाहती है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण पाने की हकदार है क्योंकि परिवीक्षा अवधि की पुष्टि ना करना और तुच्छ आरोंपों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी या बर्खास्तगी के अलावा कुछ नहीं है इसलिये उन पर जांच करने का दायित्व है, जो प्रतिवादी करने में विफल रहे, इसलिये आरोपित आदेश इस न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने योग्य है । इस दलील को प्रतिस्थापित करने के लिये उसने

अभय जैन (सुप्रा) के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा–49 से 52 में इस प्रकार माना है:–

"49. इसके अलावा, गोपी किशोर प्रसाद (सुप्रा) ने इस न्यायालय कि एक संविधान पीठ ने माना है कि:– "1. इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा निर्धारण हेतु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान बिहार अधीनस्थ सिविल सेवा में एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति पर लागू होते हैं, जिसे अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में भ्रष्टाचार और असंतोषजनक कार्य के लिये कुख्याती के आधार पर अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है ।

XXX XXX XXX

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6..... इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में, यद्यपि प्रतिवादी केवल परिवीक्षाधीन था । उसे वास्तव में सेवा से मुक्त कर दिया गया क्योंकि सरकार ने जांच के बाद, सही या गलत तरीके से, यह निष्कर्ष निकाला था कि वह उस पद के लिये अनुपयुक्त था, जिस पर वह परिवीक्षा पर था । यह स्पष्ट रूप से दण्ड के रूप में था और इसलिये, वह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का हकदार था । अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी, जो कि मात्र परिवीक्षाधीन है , को उसके आचरण की कोई जांच किये बिना ही बर्खास्त किया जा सकता है और उसकी बर्खास्तगी का अर्थ उसके लिये कोई दंड नहीं हो सकता क्योंकि उसे किसी पद का कोई अधिकार नहीं है । यह सच है कि यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी राज्य कि सार्वजनिक सेवा में पद धारण करने के लिये उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है, तो वह उसके कथित कदाचार की कोई जांच किये बिना उसे बर्खास्त कर सकती है । यदि सरकार उसकी ईमानदारी या योग्यता पर कोई संदेह किये बिना सीधे उसके खिलाफ कार्यवाही करती है, तो उसकी बर्खास्तगी का कानूनन दंड के रूप में सेवा से हटाने जैसा प्रभाव नहीं होगा और इसलिये

उसके पास किसी भी अदालत में शिकायत करने के लिये कोई कारण नहीं होगा । उस आसान रास्ते को अपनाने के बजाय, सरकार ने उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने और उसे एक बेईमान और अक्षम अधिकारी के रूप में ब्रान्ड करने का अधिक कठिन रास्ता चुना । ऐसी परिस्थितियों में उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत संरक्षण पर जोर देने का अधिकार था । वह संरक्षण उन्हें न दिये जाने के कारण उन्हें न्यायालय में अपना निवारण मांगने का अधिकार था, इसलिये यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) द्वारा प्रदत्त संरक्षण से गलत तरीके से वंचित किया गया था, इसलिये उन्हें सेवा से हटाना संविधान कि अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था ।

(जोर दिया गया)

50. इस न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की किः—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''5..... हमारी राय में इस मामले में निपटाया गया विवाद, ढींगरा (1958) 1 एल.एल.जे. 544 एस.सी. के मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है । उस मामले में निर्णय के लिये मुख्य प्रश्न यह था कि क्या रेलवे के महाप्रबंधक के आदेश के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता ढींगरा को सजा के रूप में पदावनत किया गया था । यद्यपि उस मामले में इस न्यायालय ने निर्णय लिया कि आरोपित आदेश का वह प्रभाव नहीं था । इस न्यायालय ने सेवा शर्तों के सभी निहितार्थों पर विस्तार से विचार किया । विशेष रूप से रेलवे सेवा नियमों और भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 240 और संविधान के अनुच्छेद 311 में निहित संवैधानिक प्रावधानों का संदर्भ दिया । उस निर्णय में विस्तृत चर्चा अस्थायी पदों, परिवीक्षाधीनों और स्थायी अधिकारियों सहित सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार के सभी चरणों के संदर्भ में है । जहां तक उन टिप्पणियों का परिवीक्षाधीन लोकसेवक की सेवा समाप्ति या सेवामुक्ति पर प्रभाव पडता है उन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता हैः—

1. परिवीक्षा पर किसी पद पर नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को उस पद पर कोई अधिकार नहीं मिलता और उसकी सेवा को, किसी लोकसेवक को बर्खास्त करने या उसे सेवा से हटाने के लिये सुसंगत नियमों में निर्धारित कार्यवाही का सहारा लिये बिना समाप्त किया जा सकता है ।

2. किसी भी जांच के बिना परिवीक्षा पर किसी पद पर आसीन व्यक्ति के रोजगार कि समाप्ति को, उसे किसी भी पद के अधिकार से वंचित करने के रूप में नहीं कहा जा सकता है और इसलिये यह कोई दंड नहीं है ।

3. लेकिन, यदि नियोक्ता ऐसे व्यक्ति कि सेवा को बिना किसी जांच के समाप्त करने के बजाय, उसके कथित कदाचार या अकुशलता या किसी समान कारण से जांच करना चुनता है तो सेवा कि समाप्ति दंड के रूप में होती है क्योंकि यह उसकी योग्यता पर कलंक लगाती है और इस प्रकार उसके भावी कैरियर को प्रभावित करती है । ऐसे मामले में वह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का हकदार है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अंतिम उल्लेखित मामले में, यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को इनमें से किसी भी आधार पर उचित जांच किये बिना तथा उसे अपनी बर्खास्तगी के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिये बिना सेवा मुक्त किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अर्थ में सेवा से निष्कासन माना जायेगा और इसलिये निरस्त किये जाने योग्य होगा ।

5. लेकिन, यदि नियोक्ता किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति कि सेवाओं को बिना जांच किये तथा उसे सेवा से हटाये जाने के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिये बिना ही समाप्त कर देता है तो परिवीक्षाधीन सिविल सेवक के पास कार्यवाही का कोई कारण नहीं हो सकता, भले ही सेवा से हटाये जाने के पीछे वास्तविक उद्देश्य यह रहा हो कि उसके नियोक्ता ने उसे, उसके कदाचार या अकुशलता या ऐसे किसी अन्य कारण से उस पद के लिये

अनुपयुक्त समझा हो, जिस पर वह अस्थायी रूप से कार्य कर रहा था (जोर दिया गया)

51. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 2 एस.सी.सी. 831 में इस न्यायालय कि सात न्यायाधीशों की पीठ ने माना है किः–

''64.... कुछ मामलों में प्राधिकरण का यह विचार हो सकता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति के आचरण के कारण उसे जांच के आधार पर बर्खास्त या हटाया जा सकता है लेकिन उन मामलों में प्राधिकरण जांच नहीं कर सकता है और परिवीक्षाधीन व्यक्ति को केवल इस उद्देश्य से बर्खास्त कर सकता है कि उसे परिवीक्षा समाप्त होने के समय कलंक के बिना जीवन के अन्य क्षेत्रों में अच्छा करने का मौका दिया जा सके दूसरी ओर यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति पर कदाचार या अकुशलता या भ्रष्टाचार के आरोप में जांच की जाती है और यदि अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का पालन किये बिना उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है तो वह सुरक्षा का दावा कर सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

XXX XXX XXX

65. जांच करने का तथ्य हमेशा निर्णायक नहीं होता है । निर्णायक बात यह है कि क्या आदेश वास्तव में सजा के तौर पर है । (देखें उडीसा राज्य बनाम रामनारायण दास ए.आई.आर. 1961 एस.सी.सी. 177 (1961) 1 एस.सी. आर. 606 (1961) एस.सी.जे. 209) अगर जांच होती है तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर किया जायेगा ताकि पता लगाया जा सके कि आदेश मूलतः बर्खास्तगी का है या नहीं । (देखें मदन गोपाल बनाम पंजाब राज्य ए. आई.आर. 1963 एस.सी. 531 (1963) 3 एस.सी.आर. 716 (1963) 2 एस.सी.जे. 185) । आर.सी. लेसी बनाम बिहार राज्य (सिविल अपील संख्या–590/1962) दिनांक 23 अक्टूबर 1963 को तय, में यह माना गया है कि उस मामले की परिस्थितियों में परिवीक्षाधीन व्यक्ति के आचरण की जांच के बाद पारित किया गया प्रत्यार्वतन आदेश प्रारंभिक जांच की प्रकृति का था ताकि सरकार यह तय

कर सके कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं । एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवा की शर्तों में यह प्रावधान है कि उसे बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताये समाप्त किया जा सकता है, वह अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता ।

66. यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियां यह संकेत देती है कि आदेश का सार यह है कि समाप्ति दंड के रूप में है, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति अनुच्छेद 311 के तहत मुकदमा चलाने का हकदार है । आदेश का सार और उसका स्वरूप निर्णायक नहीं होगा । (देखें के.एच. फडनीस बनाम महाराष्ट्र राज्य (1971) 1 एस.सी.सी. 790–1971 सप एस.सी.आर. 118) ।

XXX XXX XXX

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

86..... इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता शमशेर सिंह की बर्खास्तगी का आदेश दंडात्मक था । अधिकारियों को अपीलकर्ता कि उपयुक्तता का पता लगाना था । हालांकि उन्होंने उन मामलों को लेकर खुद को चिंतित कर लिया जो वास्तव में मामूली थे । अपीलकर्ता ने प्रेमसागर के मामले में रिकॉर्ड को सही किया । अपीलकर्ता ने ऐसा अपने हाथों से किया । बर्खास्तगी का आदेश नियम 9 का उल्लंघन है इसलिये बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया जाता है । (जोर दिया गया) ।

52. अपीलकर्ता का वर्तमान मामला इस न्यायालय के उपर्युक्त संविधान पीठ के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है । चूंकि सरकार जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अपीलकर्ता जिस पद पर परिवीक्षा पर था उसके लिये वह उपयुक्त नहीं था इसलिये यह स्पष्ट रूप से दंड के रूप में था और इसलिये अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत संरक्षण का हकदार होगा । इसके अलावा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समाप्ति आदेश का सार यह दर्शाता है कि उसे दंड के रूप में सेवा मुक्त किया गया था, इसलिये यह प्रश्न की क्या अपीलकर्ता कि गैर–पुष्टि की कार्यवाही

आर.जे.एस. नियमों के नियम 45 और 46 के अनुसार है, इसका उत्तर नकारात्मक है ।

23. जहां तक दिनांक 22.09.2016 की जांच रिपोर्ट को रद्द करने प्रार्थना या सवाल है, इसमें उल्लेखित किया गया है कि जांच रिपोर्ट में विकृतियां है और श्री गल्ल ने आई.सी.सी के समक्ष अपने उत्तर में गवाहों की सूची में तत्कालीन जिला न्यायाधीश, अंबिकापुर का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जो याचिकाकर्ता के खिलाफ द्वेष और पक्षपात रखते हैं । इस प्रकार रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण व्यक्ति के साक्ष्य पर आधारित है । इस प्रकार, इसे रद्द किया जाना चाहिए और रिट याचिका को अनुमति देने के लिये प्रार्थना की जायेगी ।

24. प्रतिवादी संख्या 02 और 03 के विद्वान् वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के समक्ष दायर अपने रिटर्न में लिये गये रूख को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि परिवीक्षा अवधि का विस्तार न करना बर्खास्तगी नहीं बल्कि समाप्ति है । इस प्रकार, स्थायी समिति ने अपने नियमों के भीतर काम किया है । नियम 04 (सी) के अनुसार उन्हें प्रदत्त शक्ति के चार कोनों व प्रस्तुत करेंगे कि सेवा से बर्खास्तगी एक प्रमुख दंड है, हालांकि सेवा से एक परिवीक्षाधीन को समाप्त करना एक दंड नहीं है क्योंकि यह सरकारी कर्मचारी को सरकार के साथ भविष्य के रोजगार को सुरक्षित करने से नहीं रोक सकता और प्रस्तुत करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम. रामनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य (1973) 2 एस.सी.सी. 650 के मामले में बर्खास्तगी एवं समाप्ति के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया है । इस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड बनाम रविन्द्र चौबे के मामले में (2020) 18 एस.सी.सी. 71 में रिपोर्ट की गयी बर्खास्तगी और समाप्ति और इसके परिणाम प्रभाव की विशिष्ट विशेषता पर फिर से विचार किया है । वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता की समाप्ति कलंकपूर्ण नहीं है । जैसे कि याचिकाकर्ता द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपित कोई जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है । स्थायी समिति ने याचिकाकर्ता के समग्र मूल्यांकन पर विचार किया है और याचिकाकर्ता के किसी भी कदाचार को ध्यान में नहीं रखा है । इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करने के लिये प्रार्थना की इस दलील को पुष्ट करने के लिये राजेश कोहली बनाम जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय (2010) 12 एस.सी.सी. 783, 151, राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम वेदप्रिया (2021) 13 एस.सी.सी. 151, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का हवाला देगें और रिट याचिका को खारिज करने के लिये प्रार्थना करेंगे ।

25. इस याचिका में उठाये गये मुद्दों का निर्धारण करने के लिये इस न्यायालय के लिये उच्च न्यायालय नियम, 2007 के साथ–साथ छ0ग0 अवर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम 2006 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना समिचीन है । नियम 11 अवर न्यायिक सेवा के सदस्य की परिवीक्षा अवधि के संबंध में है । जो इस प्रकार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" नियम 11– (1) नियम 3 के उपनियम (1) की श्रेणी (ए) में नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियम 3 के उपनियम (1) की श्रेणी में (ए) में नियुक्त व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की योजना के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिये न्यायिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा और इसमें छ.ग. राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण भी शामिल होगा

(3) उच्च न्यायालय, परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पूर्व किसी भी समय परिवीक्षा अवधि बढा सकता है, किंतु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) उच्च न्यायालय, परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पूर्व किसी भी समय नियम 3 के उपनियम (1) की श्रेणी (क) में नियुक्त सिविल न्यायाधीश की सेवाओं को समाप्त करने की संस्तुति कर सकता है ।

(5) परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा या पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है और यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध नहीं है तो उच्च न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि स्थायी पद की अनुपलब्धता के कारण परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता और जैसे ही कोई स्थायी पद उपलब्ध होता है, उसे स्थायी कर दिया जायेगा ।

(6) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति, उपनियम (4) या उपनियम (5) के अंतर्गत समाप्त या पुष्टि होने तक, जैसा भी मामला हो , उसी रूप में बना रहेगा ।

(7) जब किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पुष्टि हो जाती है , तो उसे परिवीक्षा की पूरी अवधि के लिये वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उच्च न्यायालय नियम 2007 के नियम 2 (एस) में स्थायी समिति को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ इस नियम के अंतर्गत गठित समिति है । उक्त नियमों का अध्याय 1–ए गैर–न्यायिक व्यवसाय के निपटान के लिये नियमों से संबंधित है । नियम 4ए स्थायी समिति की संरचना को परिभाषित करता है, 4बी में प्रावधान है कि स्थायी समिति अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण और निर्देश के साथ प्रभारित होगी, जहां तक ऐसे नियंत्रण और निर्देश न्यायपालिका के अलावा अन्य तरीके से प्रयोग किये जाते हैं । नियम 4सी न्यायाधीशों के संदर्भ के बिना, सामान्य रूप से स्थायी समिति की शक्ति प्रदान करता है । नियम 4सी, 4डी, 4ई, और 4ओ इस प्रकार हैः–

'' 4–सी स्थायी समिति को न्यायाधीशों के संदर्भ के बिना सामान्य रूप से शक्ति होगी–

(प) अपने विभाग के भीतर सभी पत्राचार का निपटान करना जो अपनी प्रकृति में अत्यावश्यक है और सामान्य महत्व का नहीं है,

(पप) अधीनस्थ न्यायाधीशों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के पद पर और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति या नियुक्ति पर उनकी प्रारंभिक पोस्टिंग के लिये सिफारिशें करना,

(पपप) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग करना,

(पअ) किसी विशेष अधिनियम के तहत विशेष शक्तियों के निहित होने के लिये सरकार को सिफारिशें करना ,

(अ) जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के स्थानांतरण के आदेश पारित करना,

(अप) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों की शक्तियों के साथ या उसके बिना अधीनस्थ न्यायाधीशों के स्थानातंरण और नियुक्ति के आदेश पारित करना,

(अपप) भारत सरकार, छ0ग0 सरकार या अन्य राज्य सरकार या विदेश सेवा के अधीन पदों पर निम्न न्यायिक सेवा या उच्च न्यायिक सेवा की प्रतिनियुक्ति के लिये सिफारिशें करना,

(अपपप) पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी करना ,

(पग) उच्चतर न्यायिक सेवा और अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने, निलंबन के आदेश पारित करना तथा सेवा से बर्खास्तगी के अलावा उक्त कार्यवाही में परिणामी आदेश पारित करना,

(ग) अधीनस्थ न्यायालयों को परिपत्र आदेश और सामान्य पत्र जारी करना,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

? (गप) किसी ऐसे मामले का निपटारा करना, जिसे प्रशासनिक विभाग के प्रभारी न्यायाधीश द्वारा निपटाया जा सकता था, लेकिन जिस उन्होंने समिति को उनकी राय के लिये संदर्भित किया ळे,

(गपप) किसी भी रैंक के न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना, बशर्ते की स्थायी समिति के निर्णय की सूचना निर्णय तिथी से 10 दिनों के भीतर पूर्ण न्यायालय को परिचालित की जायेगी और यदि पूर्ण न्यायालय का कोई सदस्य निर्णय के 03 सप्ताह के भीतर मामले पर पूर्ण न्यायालय की बैठक में चर्चा करना चाहता है तो ऐसी बैठक में निर्णय होने तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

(गपपप) पूर्ण न्यायालय द्वारा उसे भेजे गये किसी मामले का निपटारा करना, जिस पर पूर्ण न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता था । 4–डी स्थायी समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश और अनुमोदित प्रत्येक मसौदा पत्र पर इसके प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4–ई नियम 4–ए (पप) के तहत नामित स्थायी समिति के सदस्य होने के नाते दो न्यायाधीश प्रशासनिक विभाग का कार्यकारी प्रभार रखेंगे । बशर्ते कि उनमें से प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसे आवंटित किये गये ऐसे व्यवसाय का निर्वहन करेगा । मतभेद की स्थिति में, मामले का फैसला मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा ।

4–ओ (प) निम्नलिखित मामले पर न्यायाधीशों द्वारा पूर्ण न्यायालय की बैठक में निर्णय लिया जायेगाः–

(क) सभी नियुक्तियां जो कानून द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा की जानी है और जो इस अध्याय में इन नियमों द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गयी है ।

(ख) न्यायिक अधिकारी के पद से बर्खास्तगी के लिये सभी सिफारिशें ।

(ग) अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 (2) के अंतर्गत अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने का प्रस्ताव ।

(घ) न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों, सुख–सुविधाओं से संबंधित मामले ।

(ड.) नये सिविल प्रकिया संहिता की धारा 123 के अंतर्गत नियम समिति का गठन, जिसमें नियम समिति के लिये न्यायाधीशों को नामित किया जाता है ।

(च) मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन से संबंधित मामलों पर विचार ।

(छ) उच्च न्यायालय कैलेंडर ।

(पप) निम्नलिखित मामले जिन पर न्यायाधीशों से परामर्श किया जाना है, फाईलों के संचालन द्वारा निपटाये जा सकते हैं, सिवाय ऐसे मामले के जहां नियम 4–एन के अनुसार बैठक बुलायी जाती है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) कानून में प्रस्तावित परिवर्तन जहां प्रस्ताव सरकार से आता है या अन्य मामलों में, जहां समिति या न्यायालय का कोई न्यायाधीश समझता है कि कार्यवाही की आवश्यकता है ।

ख) स्थायी समिति के न्यायाधीशों द्वारा पारित किये जाने पर सरकार को प्रतिवर्ष प्रस्तुत कि जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट ।

(ग) नियम, जो प्रकाशित होने पर विधि का बल रखेंगे ।

(घ) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच संबंध से जुडे विषय ।

27. उच्च न्यायालय नियम के नियम 4–सी में संशोधन किया गया है और उपनियम (गपअ) के पश्चात् दिनांक 28.11.2023 को निम्नलिखित को जोडा या हटाया गया है:–

' 'संशोधन''

1. नियम 4–ओ (प) (डी) को हटाया जायेगा और विद्यमान कम संख्या '' (ई), (एफ) और (जी) '' को कमशः (डी) (ई) और (एफ) के रूप में पुनः कमांकित किया जायेगा ।

2. नियम 4–ओ (पप) (सी) को हटाया जायेगा और विद्यमान कम संख्या (डी) को (सी) के रूप में पुनः कमांकित किया जायेगा ।

3. नियम 4–सी में उपनियम (गपअ) के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जायेः–

''(गअ) न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्त, सुविधाओं और सुख–सुविधाओं से संबंधित मामले ।

(गअप) नियम जो प्रकाशित होने पर कानून का बल रखेंगे ।

(गअपप) नियम 4–ओ के अंतर्गत आने वाले मामलो को छोडकर नियम 4–सी के अंतर्गत ना आने वाले किसी अन्य मामले का निपटान करना ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. नियम, 2006 के अवलोकन से, जो उपर उद्धृत किये गये हैं, यह देखा जाना है कि याचिकाकर्ता ने नियम 11 में परिभाषित परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है या नहीं या अभिलेख पर रखी गयी सामग्री से उसे सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 के पद पर स्थायी माना जाता है या नहीं । इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता और अन्य न्यायिक अधिकारियों के मामले से संबंधित उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से अभिलेख मंगाये गये है, जिनकी पुष्टि पर उसी बैठक में विचार किया गया था । मामले के अभिलेख से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 12.12.2013 को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था तद्नुसार उसने दिनांक 27.12.2013 को अंबिकापुर में कार्यभार ग्रहण किया । उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने दिनांक 01.12.2015 को आयोजित अपनी बैठक में 31 परिवीक्षाधीन सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2013, जनवरी 2014 में हुई थी तथा जिन्होंने दिसंबर 2015 एवं जनवरी 2016 में दो वर्ष की परिवीक्षा कर ली है, के स्थायी करण के मामले पर विचार किया है तथा याचिकाकर्ता सहित 09 अन्य

न्यायिक अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि बढायी गयी है । याचिकाकर्ता के मामले में याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि दिनांक 26.12.2016 तक बढायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अवधि पूरी करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था तत्पश्चात् स्थायी समिति ने दिनांक 26.07.2016 को आयोजित अपनी बैठक में यह संकल्प लिया है कि जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट तथा कु. आकांक्षा भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर उस समय विचार किया जायेगा, जब कु. आकांक्षा भारद्वाज को निम्न न्यायिक सेवा में स्थायीकरण के मामले पर विचार किया जायेगा तत्पश्चात् दिनांक 31.01.2017 को स्थायी समिति ने स्थायी पद की अनुपलब्धता की स्थिति में अस्थायी सिविल न्यायाधीश वर्ग –2 के स्थायीकरण एवं नियम 11 के उपनियम (5) के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता सहित 10 न्यायिक अधिकारियों के मामले पर विचार किया तथा याचिकाकर्ता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''संकल्प लिया गया कि इस तथ्य के मद्देनजर कि कु. आकांक्षा भारद्वाज को सेवा में बने रहने के योग्य नहीं पाया गया है, इन मामलों को स्थगित रखा जाये ।''

29. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा द्वारा दिनांक 30.01.2016 को प्रस्तुत रिपोर्ट, जिसने न्यायिक कार्य में अनियमितता के संबंध में याचिकाकर्ता के विरूद्ध दिनांक 30.12.2015 को अंजू गुप्ता ए.डी.पी.ओं द्वारा कि गयी शिकायत तथा तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा दिनांक 13.04.2016 को कि गयी शिकायत के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 10.06.2016 को प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार नहीं किया गया है ।

30. मामले के अभिलेख से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के बारे में सूचना स्थायी समिति को उपलब्ध करा दी गयी थी, जिससे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की वर्ष 2013–14 की ए.सी.आर. दर्ज नहीं की गयी थी । वर्ष 2014–15 की ए.सी.आर. ''डी'' थी और यद्यपि वर्ष 2015–16 की ए.सी.आर. भी ''डी'' श्रेणी की थी , लेकिन उसे अभी तक संप्रेषित नहीं किया गया था और स्थायी समिति ने वर्ष

2014–15 के लिये याचिकाकर्ता के समग्र प्रदर्शन पर विचार किया है, जो औसत पाया गया । इस प्रकार, याचिकाकर्ता का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था, इसलिये स्थायी समिति ने उसे स्थायीकरण के लिये उपयुक्त नहीं पाया और तद्नुसार, उसने सेवा से समाप्ति की सिफारिश की है । अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि स्थायी समिति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अन्य व्यक्तियों द्वारा की गयी शिकायतों पर विचार नहीं किया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही विस्तृत किया जा चुका है । इस प्रकार, परिवीक्षा अवधि का विस्तार ना किया जाना यद्यपि समिति के बराबर है, लेकिन यह दंड के रूप में नहीं है, इसलिये याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि तत्कालीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं और वह निचली न्यायिक सेवाओं की पुष्टि की गयी सदस्य बन गयी है, इसलिये उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, खारिज किये जाने योग्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1974) 2 एस.सी.सी. 831, के मामले में पैराग्राफ 62–72 में निम्नानुसार माना है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''62. एक परिवीक्षाधीन कि स्थिति इस न्यायालय द्वारा पुरूषोत्तम लाल ढिंगरा बनाम भारत संघ (1958) एस.सी.आर. 828 में विचार किया गया था, जिसमें न्यायालय की ओर से बोलते हुए दास, सी.जे. ने कहा कि जहां किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर सरकारी सेवा में स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है वहां परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में उसकी सेवा की समाप्ति सामान्यतः और अपने आप में दंड नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार नियुक्त सरकार कर्मचारी को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी निजी नियोक्ता द्वारा परिवीक्षा पर नियोजित कर्मचारी को ऐसा करने का अधिकार है । ऐसी समाप्ति किसी कर्मचारी के पद पर बने रहने के किसी अधिकार को जब्त करने के रूप में कार्य नहीं करती है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है । स्पष्ट रूप से ऐसी समाप्ति दंड के रूप में बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी

नहीं हो सकती, हालांकि ढिंगरा के मामले में (सुप्रा) ने दास, सी.जे. की दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां है एक यह है कि यदि अनुबंध या सेवा नियमों के तहत सेवा समाप्त करने का अधिकार मौजूद है तो सरकार के दिमाग में काम करने वाला मकसद पूरी तरह से अप्रासंगिक है । दूसरा यह कि यदि सेवा की समाप्ति कदाचार, लापरवाही, अकुशलता या अन्य अयोग्यता पर आधारित है तो यह एक सजा है और संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करता है । मकसद को अप्रासंगिक क्यों कहा जाता है इसका कारण यह है कि यह मन की स्थिति में निहित है जो कि स्पष्ट नहीं है । दूसरी ओर यदि समाप्ति कदाचार पर आधारित है तो यह वस्तुनिष्ठ है और स्पष्ट है ।

''63. कोई अमूर्त प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता कि जहां किसी परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्ति के आदेश में कुछ और कहे बिना समाप्त की जाती है, तो यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कभी भी सजा नहीं हो सकती है । यदि किसी परिवीक्षार्थी को कदाचार, अकुशलता या किसी तरह के अन्य कारणों से उचित जांच के बिना तथा उसे अपनी बर्खास्तगी के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिये बिना सेवा से हटा दिया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अर्थ में सेवा से हटाने के बराबर होगा ।

''64. किसी परिवीक्षार्थी को स्थायी करने से पहले संबंधित प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह इस बात पर विचार करें कि परिवीक्षार्थी का कार्य संतोषजनक है या वह पद के लिये उपयुक्त है । इस संबंध में परिवाक्षार्थी को नियंत्रित करने वाले किसी नियम के अभाव में प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि नौकरी के लिये अयोग्य होने या किसी स्वभावगत या अन्य उद्देश्य से, जिसमें नैतिक पतन शामिल ना हो, परिवीक्षार्थी नौकरी के अनुपयुक्त है और इसलिये उसे सेवा से हटा देना चाहिए । इसमें कोई दंड शामिल नहीं है । कुछ मामलों में प्राधिकारी का यह विचार हो सकता है कि परिवक्षार्थी के आचरण के कारण जांच के आधार पर उसे बर्खास्त या हटाया जा सकता है लेकिन उन मामलों में प्राधिकारी जांच नहीं कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है और परिवीक्षाधीन व्यक्ति को केवल इस उद्देश्य से बर्खास्त कर सकता है कि उसे परिवीक्षा समाप्त होने के समय बिना किसी कलंक के जीवन के अन्य क्षेत्रों में अच्छा करने का मौका दिया जा सके । दूसरी ओर, यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति पर कदाचार या अकुशलता या भ्रष्ट आचरण के आरोप में जांच का सामना करन पडता है यदि अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का पालन किये बिना उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है तो वह संरक्षण का दावा कर सकता है । गोपी किशोर प्रसाद बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 689 में कहा कहा गया था कि यदि सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति के विरूद्ध उसकी ईमानदारी या योग्यता पर कोई संदेह किये बिना सीधें कार्यवाही करती है तो उसे पदच्युत करने पर उसे दंड के रूप में हटाने का प्रभाव नहीं होगा । आसान रास्ता अपनाने के बजाय सरकार ने उसके विरूद्ध कार्यवाही शुरू करने और उसे बेईमान और अक्षम अधिकारी के रूप में ब्रान्ड करने का अधिक कठिन रास्ता चुना ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''65. जांच करने का तथ्य हमेशा निर्णायक नहीं होता । निर्णायक बात यह है कि क्या आदेश वास्तव में दंड के रूप में है (देखे उडीसा राज्य बना रामनारायण दास (1961)1 एस.सी.आर. 606) यदि जांच की जाती है तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर किया जायेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि आदेश मूलतः बर्खास्तगी का है या नहीं । (देखे मदनगोपाल बनाम पंजाब राज्य (1963) 3 एस.सी. आर. 716 आर.सी. लेसी बनाम बिहार राज्य और अन्य (सिविल अपील संख्या 590/1962, 23 अक्टूबर 1963 को तय) में माना गया था कि उस मामले की परिस्थितियों में परिवीक्षाधीन व्यक्ति के आचरण की जांच के बाद पारित किया गया प्रत्यावर्तन आदेश प्रारंभिक जांच की प्रकृति का था ताकि सरकार यह तय कर सके कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं । एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवा की शर्तों में यह प्रावधान है कि उसे बिना किसी नोटिस और बिना कोई कारण बताये समाप्त किया जा सकता है, वह अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता । (देखें आर.सी. बनर्जी बनाम भारत संघ (1964)2 एस.सी. आर. 135) यह संतुष्ट करने के लिये कि गयी प्रारंभिक जांच की अस्थायी कर्मचारी

की सेवाओं से छुटकारा पाने का कारण था, अनुच्छेद 311 को आकर्षित नहीं करती है । (देखें चंपकलाल जी. शाह बनाम भारत संघ (1964)5 एस.सी.आर. 190) दूसरी ओर से समाप्ति के आदेश में यह कथन कि अस्थायी कर्मचारी अवांछनीय है, दंड का तत्व लाने वाला माना गया है । (देखें जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 449)

''66. यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियां यह संकेत देती है कि आदेश का सार यह है कि समाप्ति दंड के रूप में है, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति अनुच्छेद 311 को आकर्षित करने का हकदार है । आदेश का सार और उसका स्वरूप निर्णायक नहीं होगा । (के.एच. फडनीस बनाम महाराष्ट्र राज्य 1971 अनुपूरक एस.सी.आर. 118 देखे) ।

''67. रोजगार के नियमों तहत किसी अस्थायी कर्मचारी या परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश और बिना किसी अतिरिक्त कारण के अनुच्छेद 311 के अधीन नहीं आयेगा । जहां विभागीय जांच की परिकल्पना की गयी है और यदि जांच वास्तव में नहीं की गयी है, तो अनुच्छेद 311 के अधीन नहीं आयेगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता कि आदेश, हालांकि अपवादित रहित है, कदाचार पर आधारित रिपोर्ट के बाद बनाया गया है । (बिहार राज्य बनाम शिव भिक्षुक 1971, 2 एस.सी.आर. 191 देखें)।

''68. अपीलकर्ता ईश्वरचंद्र अग्रवाल ने तर्क दिया कि उन्होंने 11 नवंबर 1967 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी की और 11 नवंबर 1968 को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी की और इस तथ्य के कारण कि वे परिवीक्षा की अधिकतम अवधि समाप्त होने के बाद भी सेवा में बने रहे, उन्हें स्थायी कर दिया गया । अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उन्हें स्थायी किये जाने का अधिकार था और 17 सितंबर 1969 को सेवा के कैडर में एक स्थायी रिक्ति थी और आवंटित किया जाना चाहिए था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''69. नियम 7 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक अधीनस्थ न्यायाधीश को, पहली बार में, दो साल के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा लेकिन इस अवधि को समय–समय पर स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बढाया जा सकता है ताकि विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई हो, तीन साल से अधिक ना हो । नियम 7 (1) का स्पष्टीकरण यह है कि यदि अधीनस्थ न्यायाधीश की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर उसकी पुष्टि नहीं की जाती है तो परिवीक्षा अवधि बढायी गयी, मानी जायेगी ।

''70. अपीलकर्ता के वकील ने पंजाब राज्य बनाम धरमसिंह (1968) 3 एस.सी. आर. 1 ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जहां इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी कर्मचारी को परिवीक्षा की अधिकतम अवधि पूरी होने पर पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, निहितार्थ रूप से उसे पद पर पुष्टि की जाती है । धरमसिंह के मामले (सुप्रा) में संबंधित नियम में कहा गया है कि पहली बार में परिवीक्षा एक वर्ष के लिये है, इस शर्त के साथ कि परिवीक्षा की कुल अवधि छूट सहित तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । धरमसिंह के मामले में (सुप्रा) उसे स्थायीकरण के आदेश के बिना सेवा में बने रहने की अनुमति दी गयी थी और इसलिये सेवा नियमों में इसके विपरीत कुछ भी ना होने की स्थिति में एकमात्र संभावित दृष्टिकोण यह था कि आवश्यक निहितार्थ से उसे स्थायी माना जाना चाहिए ।

''71. वर्तमान मामले में निहितार्थ से किसी भी तरह की पुष्टि को नकार दिया गया क्योंकि तीन साल पूरे होने से पहले उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि अपीलकर्ता का काम और आचरण असंतोषजनक था और अपीलकर्ता को 04 अक्टूबर 1968 को कारण बताने के लिये नोटिस दिया गया था कि उसकी सेवाओं को क्यों न समाप्त किया जाये । इसके अलावा, नियम 9 से पता चलता है कि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रोजगार को समाप्त करने का प्रस्ताव किया जा सकता है । परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में समाप्त हो जाती है यह दर्शाता है कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जहां नोटिस परिवीक्षा अवधि के अंत में दिया जाता है, वहां नियम 9 के तहत नोटिस द्वारा शुरू की गयी जांच कार्यवाही समाप्त होने तक परिवीक्षा अवधि बढा दी जाती है । इस पृष्ठभूमि में नियम 7 (1) का स्पष्टीकरण दर्शाता है कि यदि अधीनस्थ न्यायाधीश को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पुष्टि नहीं की जाती है तो परिवीक्षा अवधि को निहित रूप से बढाया गया माना जायेगा । यह निहित विस्तार जहां अधीनस्थ न्यायाधीश को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पुष्टि नहीं की जाती है, धरमसिंह के मामले (सुप्रा) में नहीं पाया जाता है । वर्तमान मामले में इस स्पष्टीकरण का यह अर्थ नहीं है कि परिवीक्षा अवधि का निहित विस्तार केवल दो–तीन वर्ष के बीच है । इसके विपरीत स्पष्टीकरण का अर्थ है कि तीन वर्ष की अधिकतम परिवीक्षा अवधि के संबंध में प्रावधान सीधे तौर पर है, न की अनिवार्य, जैसा कि धरमसिंह के मामले में था और परिवीक्षाधीन व्यक्ति को वास्तव में तब तक स्थायी नहीं माना जाता जब तक कि स्थायीकरण का आदेश नहीं दिया जाता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"72. इस संदर्भ में नियम 7 (3) के प्रावधान का संदर्भ दिया जा सकता है । नियम के प्रावधान में कहा गया है कि अधिकतम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर उसे स्थायीकरण का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि संवर्ग में कोई स्थायी रिक्ति न हो । नियम 7 (3) में कहा गया है कि स्थायीकरण का स्पष्ट आदेश आवश्यक है । नियम 7 (3) का प्रावधान नकारात्मक रूप में है कि अधिकतम तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर संवर्ग में कोई स्थायी रिक्ति न होने तक स्थायीकरण का अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिये परिवीक्षा की अवधि तब तक के लिये बढा दी गयी है, जब तक कि अपीलकर्ता जैसे परिवीक्षाधीन के खिलाफ शुरू की गयी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती ताकि सरकार यह तय कर सके कि परिवीक्षाधीन को स्थायी किया जाना चाहिए या उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए । तथ्यों और परिस्थितियों के साथ–साथ नियम 7 (1) और 7(3) के अर्थ और संचालन के अनुसार वर्तमान मामले में निहितार्थ द्वारा कोई पुष्टि नहीं हो सकती है ।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम डॉ. एम.डी.एस. इस्कंदर अली (1980) 3 एस.सी.सी. 428 के मामले में पैराग्राफ 13–14 में निम्नानुसार माना है:–

''13. महाराष्ट्र राज्य बनाम बिरप्पा आर. साबोजी एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय के हाल ही के निर्णय द्वारा इस मामले पर फिर से विस्तार से विचार किया गया, जिसमें न्यायामूर्ति उंटवालिया ने इस प्रकार टिप्पणी की ''सामान्यतः और सामान्यतः इस न्यायालय द्वारा अधिकांश मामलों में निर्धारित नियम यह है कि आपको आदेश को पहली नजर में देखना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या यह सरकारी कर्मचारी पर कोई कलंक लगाता है । ऐसे मामले में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आदेश मनमाना या दुर्भावनापूर्ण है, जब तक कि सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह के आदेश को चुनौती देने वाला कोई बहुत मजबूत मामला न बनाया जाये और साबित न किया जाये ''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''14. इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर स्थिति यह है कि आरोपित आदेश प्रथम दृष्टया बिना किसी कलंक के सरलतापूर्वक सेवा समाप्ति का आदेश है । इस आदेश में किसी भी तरह से कोई बुरा परिणाम शामिल नहीं है और यह प्रतिवादी को केवल छुट्टी देने का आदेश है, जो एक परिवीक्षाधीन था और उसे सेवा का कोई अधिकार नहीं था । प्रतिवादी इस न्यायालय के लिये कोई मजबूत मामला नहीं बना पाया है ताकि वह उत्पीडन या सजा के मामले का निर्धारण करने के लिये दस्तावेजों, सामग्रियों की गहराई से जांच कर सके ।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेदप्रिया (सुप्रा) के मामले में पैराग्राफ 14–22 में निम्नानुसार माना है:–

14. वर्तमान मामला ऐसा है जहां प्रथम प्रतिवादी एक परिवीक्षाधीन था और मूल नियुक्त व्यक्ति नहीं था इसलिये अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सख्ती से कवर नहीं

किया गया । इस तरह की परिवीक्षा का उद्देश्य काजिया मोहम्मद मुजम्मिल बनाम कर्नाटक राज्य में उल्लेख किया गया है ।

25. किसी भी परिवीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी को स्थायी नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने से पहले, उसे अपने कर्त्तव्यों और कार्यों को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करना चाहिए ताकि अधिकारी उचित आदेश पारित कर सकें । दूसरे शब्दों में, परिवीक्षा की योजना परिवीक्षा के तहत एक अधिकारी की क्षमता उपयुक्तता और प्रदर्शन का न्याय करना है ।

15. इसी प्रकार, राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य 5 में यह अभिमत दिया गया :

''..... किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर इसलिये रखा जाता है ताकि नियोक्ता सेवा में बने रहने और सेवा में स्थायीकरण के लिये उसकी उपयुक्तता का निर्णय कर सके । स्थायी आधार पर और स्थायीकरण के माध्यम से पद धारण करने के लिये किसी व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिये विभिन्न मानदंड है उस चरण में और परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति (अपीलार्थी) की कार्यवाही और गतिविधियों की आमतौर पर जांच की जाती है और उसके समग्र प्रदर्शन के आधार पर आमतौर पर यह निर्णय लिया जाता है कि क्या उसकी सेवाएं जारी रखी जानी चाहिए और उसे स्थायी किया जाना चाहिए या उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाना चाहिए । ''

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवीक्षा का पूरा उद्देश्य नियोक्ता को परिवीक्षाधीन व्यक्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और किसी विशेष पद के लिये उसकी उपयुक्तता का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करना है । इस तरह की कवायद भर्ती प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए । लिखित परीक्षा और साक्षात्कार केवल उम्मीदवार के किसी विशेष नौकरी में सफलता की संभावना का अनुमान लगाने का प्रयास है । उपयुक्तता का सही परीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्त्तव्यों का वास्तविक प्रदर्शन है जो उम्मीदवार के शामिल होने और काम शुरू करने के बाद ही लागू किया जा सकता है ।

17. इस तरह की कवायद निःसंदेह व्यक्तिपरक है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 का यह तर्क कि परिवीक्षार्थियों की पुष्टि केवल वस्तुनिष्ट सामग्री पर आधारित होनी चाहिए, दूर की कौडी है । यद्यपि मात्रात्मक पैरामीटर स्पष्ट रूप से उचित है, लेकिन वे स्वयं भविष्य के प्रदर्शन के आपूर्ण संकेतक है । गुणात्मक मूल्यांकन और गैर–मात्रात्मक कारकों का समग्र विश्लेषण वास्तव में आवश्यक है । केवल इसलिये कि प्रतिवादी संख्या 1 कि ए.सी.आर. लगातार ''अच्छा'' चिन्हित की गयी थी, यह उसे सेवा में जारी रखने का अधिकार देने का अधिकार नहीं हो सकता ।

18. इसके अलावा, परिवीक्षाधीन और स्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति में सूक्ष्म, फिर भी मौलिक अंतर है यद्यपि यह निर्विवाद है कि राज्य किसी भी मामलें में मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है, फिर भी दोनों के बीच न्यायिक दृष्टिकोण में अंतर होना चाहिए जबकि स्थायी कर्मचारी के मामले में संविधान के अनुच्छेद 311 या सेवा नियमों के तहत संरक्षण के कारण न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा अधिक व्यापक होगा, लेकिन परीक्षण के आधार पर काम करने वाले परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है, जिन्हें ऐसी सुरक्षा से वंचित किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थायी होने तक रोजगार में बने रहने का कोई अविभाज्य अधिकार नहीं है , और अनुपयुक्त पाये जाने पर उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जा सकता है केवल बहुत सीमित श्रेणी के मामलों में ही ऐसे परिवीक्षार्थी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत सुरक्षा की मांग कर सकते हैं जैसे कि जब उन्हें ऐसे तरीके से ''हटाया'' जाता है जो वैकल्पिक क्षेत्रों में उनके भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करता है या उनके चरित्र पर संदेह करता है या उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है । ''कलंकित'' निष्कासन के ऐसे मामलों में केवल सुनवाई का उचित अवसर ही पर्याप्त है । बहुत पहले परषोत्तम लाल ढिंगरा बनाम भारत संघ 6 में एक संविधान पीठ ने कहा था कि ।

''28.....संक्षेप में, यदि सेवा की समाप्ति अनुबंध या सेवा नियमों से प्राप्त अधिकार पर आधारित है, तो प्रथम दृष्टया, समाप्ति दंड नहीं है और इसके कोई बुरे परिणाम नहीं है और इसलिये अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता है लेकिन भले ही सरकार के पास अनुबंध या नियमों के तहत, बर्खास्तगी या हटाने या रैंक में कमी की सजा देने के लिये निर्धारित प्रकिया से गुजरे बिना रोजगार समाप्त करने का अधिकार है फिर भी सरकार कर्मचारी को दण्डित करने का विकल्प चुन सकती है और यदि सेवा की समाप्ति कदाचार, लापरवाही, अकुशलता या अन्य अयोग्यता पर आधारित है तो यह एक दंड है और अनुच्छेद 311 कि आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए''

20. प्रतिवादी संख्या 1 की सेवाओं की समाप्ति के आदेश में यह कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करने के बाद यह राय बनायी है कि श्री वेदप्रिया ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है और राजस्थान न्यायिक सेवा में परिवीक्षाधीन के रूप में संतुष्टि देने में भी विफल रहे हैं'' इन सामग्रियों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 पर न तो कोई विशिष्ट कदाचार का आरोप लगाया गया है और न ही कोई आरोप लगाया गया है । यह आदेश प्रतिवादी संख्या 1 के परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन पर आधारित है जो संतोषजनक नहीं पाया गया । ऐसा अनुमान जो किसी परिवीक्षाधीन कि सेवाओं को समाप्त करने का वैध आधार हो सकता है संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार जांच आयोजित करने का वारंट नहीं देता है । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह आरोप लगाना सत्य नहीं है कि यह उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अभियोग का मामला था ।

21. यह सच है कि किसी आदेश का स्वरूप यह निर्धारित करने के लिये महत्वपूर्ण नहीं है कि यह प्रकृति में सरल है या दंडात्मक सेवा समाप्ति का आदेश, भले ही हानिरहित शब्दों में लिखा गया हो, किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी को दंडित करने के उद्देश्य से भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो सकता है और उस स्थिति में यह निःसंदेह संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन होगा । ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में न्यायालय हमेशा यह पता लगाने के लिये पर्दा उठा सकता है कि आदेश का उद्देश्य परिवीक्षाधीन व्यक्ति को दंडात्मक परिणाम देना था या नहीं । यदि न्यायालय पाता है कि आदेश के पीछे वास्तविक उद्देश्य अधिकारी को दंडित करना था, तो वह हमेशा सुनवाई के उचित अवसर के अभाव में इसे रद्द कर सकता है ।

22. वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि हटाने के पीछे कोई आरोप था इसके बजाय, यह नियमित पुष्टिकरण अभ्यास था । परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदान की गयी सेवाओं का मूल्यांकन प्रथम प्रतिवादी के कार्यकाल के अंत में 92 अन्य लोगों के साथ किया गया था । सतर्कता रिपोर्ट ना केवल प्रतिवादी नं0–1 याचिकाकर्ता के लिये बल्कि कम–से–कम 10 अन्य उम्मीदवारों के लिये भी बुलायी गयी थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उद्देश्य यह सत्यापित करना नहीं था कि प्रथम प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं या नहीं । बल्कि केवल यह पता लगाना था कि क्या पर्याप्त कारण थे या न्यायाधीश से अपेक्षित उच्च स्तर की ईमानदारी को देखते हुए उनकी उपयुक्तता पर कोई संदेह था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. सतर्कता रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रशासनिक समिति या पूर्ण न्यायालय को प्रतिवादी नं0–1 की पुष्टि न करने के लिये प्रेरित करने वाले कारकों में से एक एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने की उनकी कार्यवाही थी । यह आरोप नहीं लगाया गया है और न ही यह सच हो सकता है कि प्रथम प्रतिवादी ने अवैध रिश्वत या किसी अन्य बाहरी विचार के कारण एन.डी.पी.एस. मामलों में जमानत दी । हमारे सामने उनके द्वारा लिया गया रूख यह है कि जमानत न्यायसंगत और मानवीय विचारों को ध्यान में रखते हुए दी गयी थी । हमें इस तरह के स्पष्टीकरण में कोई योग्यता नहीं दिखती । न्यायसंगतता का प्रयोग करने का प्रश्न तभी उठता है जब न्यायालय को स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से अधिकार क्षेत्र

प्रदान किया जाता है । प्रतिवादी संख्या–01 से एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 की धारा 36 (3) के बारे में जानकारी होने की अपेक्षा की गयी थी जो एन.डी.पी.एस. मामलों में सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद से नीचे के न्यायिक अधिकारी की क्षमता को स्पष्ट रूप से समाप्त कर देती है इसलिये प्रशासनिक पद से उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह अनुमान लगाया कि प्रतिवादी संख्या–01 लापरवाही से कार्य करने के लिये प्रवृत्त था या उसके पास ऐसी शक्ति को हडपने की प्रवृत्ति थी जो कानून उसे प्रदान नहीं करता । यह एक परिवीक्षाधीन न्यायिक अधिकारी की उपुयक्तता निर्धारित करने के लिये एक प्रासंगिक कारक था ।

24. अन्यथा भी यह सत्य नहीं हो सकता कि केवल इसलिये कि अभिलेखों में कुछ बाहरी विचारों के आरोप मौजूद थे । उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या –01 की सेवाओं को सरल तरीकें से समाप्त करने से रोक दिया गया था जबकि वह परिवीक्षा पर था । परिवीक्षाधीन व्यक्ति का असंतोषजनक प्रदर्शन और परिवीक्षा अवधि के अंत में सेवा का परिणामी वितरण, इस तथ्य से आवश्यक रूप से प्रभावित नहीं हो सकता कि इस बीच परिवीक्षाधीन व्यक्ति पर विशिष्ट कदाचार, दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली कुछ शिकायतें थी । यदि सेवा समाप्ति के आदेश की उत्पत्ति कदाचार के एक विशिष्ट कृत्य में निहित है तो परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्त्तव्यों के समग्र संतोषजनक प्रदर्शन की परवाह किये बिना न्यायालय छिपे हुए कारण को उजागर करने और यह मानने के लिये अपनी पहुंच के भीतर होगा कि समाप्ति करने का सरल आदेश वास्तव में जांच के माध्यम से आरोप (ओ) को स्थापित किये बिना परिवीक्षाधीन व्यक्ति को दंडित करने का ईरादा रखता है हालांकि जब नियोक्ता किसी विशिष्ट मामले को नहीं उठाता है और परिवीक्षा अवधि के दौरान समग्र प्रदर्शन के आधार पर अपनी राय बनाता है तो कार्यवाही की प्रकृति दंडात्मक होने का सिद्धांत लागू नहीं होगा । इस प्रकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति पर यह साबित करने का दायित्व होगा कि उसके खिलाफ की गयी कार्यवाही दंडात्मक प्रकृति की थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता परिवीक्षाधीन थी और वह 31.01.2017 तक परिवीक्षा पर रही । जब उच्च न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अवधि नहीं बढायी गयी थी । यह भी स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने विद्वान् जिला न्यायाधीश अंबिकापुर की शिकायतों या रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया है, बल्कि याचिकाकर्ता के समग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखा है । जो असंतोषजनक पाया गया, इसलिये याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये तर्क कि तत्कालीन जिला न्यायाधीश द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गयी पक्षपातपूर्ण कार्यवाही और आई.सी.सी. की रिपोर्ट और अन्य शिकायतों के आधार पर उसकी सेवा समाप्ति पारित की गयी थी, खारिज किये जाने योग्य है । तद्नुसार उसे खारिज किया जाता है ।

34. अब इस न्यायालय को यह जांचना है कि सेवा समाप्ति के लिये स्थायी समिति द्वारा की गयी सिफारिश उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं । यह मुद्दा गणेश राम बर्मन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आ चुका है, जिसमें माननीय खंडपीठ ने पैराग्राफ 32–34 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"32. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस निष्कर्ष से कोई नहीं बच सकता है कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति की सिफारिश करने वाला स्थायी समिति का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बाहर था । हम विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा लिये गये इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के लिये नियम 9 (4) के संदर्भ में कोई सिफारिश नहीं की है । इसलिये स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित सेवा समाप्ति का आदेश असंवैधानिक, गैर–कानूनी और कानून के अधिकार के बिना है ।

"33. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती । तद्नुसार रिट अपील खारिज की जाती है ।

''34. हम विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हैं । हम आगे यह भी मानते हैं कि उच्च न्यायालय रिट याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि के संबंध में उचित निर्णय शीघ्रता से लेगा ।

35. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता की ए.सी.आर. जिसे ''डी'' ग्रेड दिया गया था, उसे दिनांक–31.01.2017 के समाप्ति आदेश के बाद सूचित किया गया है और देवदत्त (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इसका महत्त्व समाप्त हो गया है, इसे भी खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि स्थायी समिति ने याचिकाकर्ता के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है । उसके बाद विवादित आदेश पारित किया गया है, जो वर्ष 2015–16 के लिये ए.सी.आर. की सूचना न देने के आधार पर याचिकाकर्ता की पुष्टि न करने के स्थायी समिति के निर्णय को रद्द नहीं करता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. इस प्रकार उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता परिवीक्षाधीन थी और उसके समग्र प्रदर्शन को देखते हुए उसकी परिवीक्षा अवधि नहीं बढायी गयी है, जिसके लिये जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सरंक्षण पाने की हकदार नहीं है लेकिन गणेशराम वर्मन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय कि माननीय खंडपीठ द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए जिसमें स्थायी समिति कि योग्यता पर सवाल उठाया गया था और यह माना गया था कि स्थायी समिति निचली न्यायिक सेवा के सदस्य की समाप्ति के मामले की सिफारिश करने में सक्षम नहीं थी । इस प्रकार, मेरा विचार है कि स्थायी समिति द्वारा दिनांक 31.01.2017 को लिया गया निर्णय, जिसमें याचिकाकर्ता के मामले को समाप्त करने की सिफारिश की गयी थी, निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि यह बिना योग्यता के जारी किया गया है और इस सिफारिश के आधार का प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा जारी दिनांक 09.02.2017 का आदेश (अनुलग्नक पी/1) निरस्त किये जाने योग्य है और तद्नुसार उन्हें

निरस्त किया जाता है । हालांकि प्रतिवादी कानून के अनुसार आगे बढने के लिये स्वतंत्र है ।

37. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को बिना किसी पूर्व वेतन के काल्पनिक वरिष्ठता के साथ बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि समाप्ति की तारीख से वह बेरोजगार रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदीप बनाम मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड और अन्य (2022) 3 एस.सी.सी. 683 के मामले में पैराग्राफ 12 में निम्नानुसार पाया गया है:–

''12. यह निःसंदेह सच है कि जब यह सवाल उठता है कि क्या पूर्व वेतन दिया जाना है और पूर्व वेतन कि सीमा क्या होगी तो ये ऐसे मामले हैं, जो दीपाली गुण्डू सुरवासे (सुप्रा) में उल्लेखित मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेंगे । ऐसे मामले में जहां यह पाया जाता है कि कर्मचारी की कोई गलती नहीं थी और फिर भी उसे अवैध रूप से नौकरी से निकाला गया या वास्तव में दुर्भावना से नौकरी से निकाला गया, उसे उस रोजगार के लाभों से वंचित करना अनुचित हो सकता है, जिसका वह अवैध/दुर्भावनापूर्ण तरीके से नौकरी से निकाले जाने के बिना आनंद ले सकता था । न्यायालय का प्रयास तब यथास्थिति को उस तरीके से बहाल करना होना चाहिए जो प्रत्येक मामले के तथ्यों में उचित हो । आरोपों की प्रकृति, मूल्यांकन के अनुसार नौकरी से निकालें जाने का सही कारण और, निश्चित रूप से, यह सवाल कि क्या कर्मचारी लाभकारी रूप से नौकरी पर था । ऐसे मामले होंगे जिन पर न्यायालय विचार करेगा ।

38. तद्नुसार, रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है ताकि याचिकाकर्ता को उसकी औपचारिक नौकरी अर्थात् सिविल जज वर्ग–2 पर सेवा की निरंतरता के साथ बहाल किया जा सके, लेकिन बिना किसी पिछले वेतन के तथा प्रतिवादियों को कानून के अनुसार आगे बढने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जा सके, यदि वे ऐसा चाहें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(नरेन्द्र कुमार व्यास)
जज

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur